

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-11/11/2019

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5363/वि० दिनांक-26/06/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/01/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/3(1)/2008-E-II(B) दिनांक-25/10/2019 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 154 प्रतिशत से बढ़ाकर 164 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

- (i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2019 के प्रभाव से 154 प्रतिशत के स्थान पर 164 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
- (ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।
- (iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णीकृत कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी, जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्डक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मैंहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीबिशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यू०को० बैंक, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फेजर रोड, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

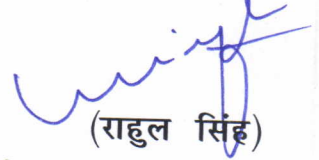
(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013- 8952/वि०

पटना, दिनांक:-11/11/2019

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।